UPBD010018162026

न्यायालय–सेशन न्यायाधीश, बांदा।

उपस्थिति-अल्पना.....एच.जे.एस.।

(जे.ओ. कोड-यू.पी.05748)

दाण्डिक निगरानी सं0 52 सन् 2026

राजकुमार पाण्डेय पुत्र स्व० चन्द्रमणि पाण्डेय, निवासी ग्राम खरका, थाना कबरई, जिला महोबा।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

.....प्रत्युत्तरदाता

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा द्वारा मुकदमा संख्या 73/2023 सरकार बनाम राजकुमार पाण्डेय अन्तर्गत धारा 419, 420, 457 भा.दं.सं., थाना मटौंध, जिला बांदा में पारित आदेश दिनांकित 21.04.2026 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है।

2. निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी में यह आधार लिया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा-137 का अध्ययन किये बिना अपना आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध है और निरस्त होने योग्य है। साक्ष्य अधिनियम की धारा-137 कहती है कि जब तक जिरह नहीं हो जाती है तब तक कम्प्लीट एवीडेन्स नहीं होता है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है। निगरानीकर्ता द्वारा धारा-311 सीआर.पी.सी./348 बी.एन.एस.एस. का प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर बिना मस्तिष्क का उपयोग किए बिना निगरानीकर्ता का प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया, जो गैर कानूनी और विधि विरूद्ध है। निगरानीकर्ता 90 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है जो नाक कान और आंख से कमजोर है, ऐसी दशा में साक्षी अरिमर्दन सिंह द्वारा मुख्य परीक्षा में दिये गये बयान का जिरह किया जाना आवश्यक था। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बात को ध्यान नहीं दिया। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त होने योग्य है। सन् 1994-1995 के दौरान गबन के सम्बन्ध में श्रीमान जी के समक्ष मुकदमा विचाराधीन है, परन्तु गबन के सन्दर्भ में

Digitally signed by ALPANA SHARMA
Date: 2026.07.18 16:40:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किसी तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए साक्षी से जिरह का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक था, ऐसा न करके अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्ता के अधिकारों का हनन किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत है और निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 29.07.2025 का आदेश निरस्त किया जाना चाहिए और निगरानीकर्ता को जिरह का अवसर दिया जाना चाहिए था, जिससे साक्ष्य कम्प्लीट होता और साक्ष्य कम्प्लीट के आधार पर ही आदेश पारित किया जाता तो आदेश कम्प्लीट आदेश माना जाता, बिना जिरह के आदेश कम्प्लीट नहीं माना जाता। साक्षी अरिमर्दन सिंह असि0 कमिश्नर व साक्षी असि0 रजिस्ट्रार जिला मुजफ्फरनगर निवासी 315 सुन्दरम खण्ड सेक्टर 19 वसुन्धरा थाना इन्द्रापुरम जिला गाजियाबाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जिरह हेतु बुलाना चाहिए था, ऐसा न करके अधीनस्थ न्यायालय के साक्ष्य के उपबन्धों का उल्लंघन किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है। निवेदन है कि अधीनस्थ का आदेश दिनांक 21.04.2026 निरस्त किया जावे तथा निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जावे और अन्तर्गत धारा-311 दं0 प्र 0 सं0/348 बी.एन.एस.एस. का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे।

3. निगरानीकर्ता एवं उत्तरदाता राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह विदित होता है कि मुकदमा संख्या-73/2023 सरकार बनाम राजकुमार पाण्डेय में दिनांक 25.10.2004 को संज्ञान लिया गया है तथा उक्त पत्रावली दिनांक 01.02.2017 को जनपद न्यायालय झांसी से स्थानान्तरित होकर जनपद बांदा प्राप्त हुई है। इस पत्रावली पर दिनांक 03.02.2025 को आरोप अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय के विरूद्ध विरचित किया गया तथा पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत की गयी। दिनांक 29.07.2025 को साक्षी अरिमर्दन सिंह गौर की मुख्य परीक्षा अंकित की गयी। प्रतिपरीक्षा के समय अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे तथा अभियुक्त स्वयं प्रतिपरीक्षा हेतु तैयार नहीं था। अतः न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा के द्वारा अभियुक्त का पी.डब्लू.-1 से प्रतिपरीक्षा का अवसर समाप्त कर दिया गया। इसके उपरान्त दिनांक 16.01.2026 को पी.डब्लू.-2 सुरेश कुमार, पी.डब्लू.-3 रामनारायण द्विवेदी एवं पी.डब्लू.-4 उपनिरीक्षक लाला भइया की मुख्य परीक्षा अंकित की गयी। अभियुक्त की ओर से प्रतिपरीक्षा हेतु उसके विद्वान अधिवक्ता के उपस्थित न आने के कारण अभियुक्त का अभियोजन साक्षियो से प्रतिपरीक्षा का अवसर समाप्त कर दिया गया। निगरानीकर्ता/अभियुक्त के द्वारा दिनांक 21.04.2026 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता/348 बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि वह 90 वर्ष का वृद्ध व नाक, कान व आंखों से कमजोर है। प्रार्थी के केस में साक्षी अरिमर्दन सिंह गौर ने प्रार्थी के खिलाफ दिये गये बयान दिनांक 29.07.2025 में प्रार्थी

के विद्वान अधिवक्ता बार-बार बुलाने पर नहीं आये तथा अभियुक्त का प्रतिपरीक्षा का अवसर समाप्त कर दिया गया। उक्त साक्षी ने अपने बयानों में प्रार्थी द्वारा सन् 1994-95 व सन् 1995-96 के दौरान गबन किये जाने की बात कही है लेकिन गबन किये जाने की तारीखों का जिक्र नहीं किया गया है तथा अभियुक्त के द्वारा दिनांक 29.07.2025 के प्रतिपरीक्षा समाप्त करने के अवसर को रिकॉल करते हुए अभियुक्त को जिरह का अवसर प्रदान करते हुए उक्त गवाह को जिरह हेतु तलब किये जाने की प्रार्थना की गयी। विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 21.04.2026 को इस आदेश के साथ निरस्त कर दिया गया कि पूर्व में अभियुक्त को जिरह का अवसर दिया गया था लेकिन जिरह न करने पर अभियुक्त का अवसर समाप्त कर दिया गया। पत्रावली प्राचीन है तथा वर्ष 2003 से लम्बित है। आधार पर्याप्त न होने के कारण प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है। विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.04.2026 से व्यथित होकर यह दाण्डिक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है।

5. निगरानीकर्ता के द्वारा यह कथन किया गया है कि जब तक प्रतिपरीक्षा नहीं हो जाती तब तक साक्ष्य सम्पूर्ण नहीं होता है तथा विचारण न्यायालय के द्वारा सरसरी तौर पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा साक्ष्य के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है।

6. विचारण न्यायालय की पत्रावली से यह स्वीकृत है कि अभियुक्त को अभियोजन साक्षी की मुख्य परीक्षा अंकित होने के उपरान्त प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया गया था। आदेश पत्र से यह भी दर्शित होता है कि उक्त तिथि को अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित था परन्तु उसके अधिवक्ता प्रतिपरीक्षा के लिये उपस्थित नहीं आये तथा अभियुक्त के द्वारा भी अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.-1 अरिमर्दन सिंह से प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी। अभियोजन साक्षी अरिमर्दन सिंह जिला गाजियाबाद से उक्त तिथि को साक्ष्य हेतु जनपद बांदा उपस्थित आये थे। अतः जहां तक अभियुक्त की ओर से किये गये इस तर्क का प्रश्न है कि प्रतिपरीक्षा के बिना साक्ष्य पूर्ण नहीं होता है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया उक्त कथन स्वीकृत किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि अभियुक्त को प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया गया है तथा उसके द्वारा प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी है।

7. क्योंकि अभियुक्त के द्वारा यह कहा गया है कि वह पी.डब्लू.-1 अरिमर्दन सिंह से प्रतिपरीक्षा करना चाहता है तथा पी.डब्लू.-1 अरिमर्दन सिंह महत्वपूर्ण साक्षी है तथा वाद को गुण-दोष के आधार पर निर्णीत किये जाने हेतु यह आवश्यक है कि अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर भी प्राप्त हो। विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उपस्थित न होने पर उसे यह विकल्प नहीं दिया गया कि उसे राज्य के खर्चे पर अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा सकता है। न्यायालय के मत में अभियुक्त को अपने केस में प्रतिवाद करने तथा अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिये। क्योंकि साक्षी अरिमर्दन

सिंह गाजियाबाद से साक्ष्य हेतु उपस्थित आये थे तथा गवाह को बार-बार आने पर उसे असुविधा हो सकती है, ऐसी स्थिति में न्यायालय गवाह का साक्ष्य वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी दर्ज करा सकता है। अतः न्यायालय के मत में सम्पूर्ण तथ्यों को देखते हुए अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत की गयी दाण्डिक निगरानी इस निर्देश के साथ स्वीकृत की जा सकती है कि अभियुक्त की ओर से वाद के निस्तारण में विलम्ब नहीं किया जायेगा तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता नियत तिथियों पर अभियोजन साक्षी के उपस्थित होने पर उससे प्रतिपरीक्षा करेंगे तथा स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, क्योंकि यह वाद लगभग 22 वर्ष पुराना है तथा एक्शन प्लान के अन्तर्गत आता है। निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी स्वीकृत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

8. निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी स्वीकृत की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.04.2026 को निरस्त किया जाता है। विचारण न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वह अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 21.04.2026 पर निगरानी में दिये गये निर्देशों के अनुरूप पुनः सुनवाई करके निस्तारित करना सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति सहित पत्रावली अनुपालनार्थ विचारण न्यायालय को यथाशीघ्र सम्प्रेषित की जाये।

(अल्पना)
दिनांकः 17.07.2026 सेशन न्यायाधीश, बांदा।
(जे.ओ. कोड नं0 UP05748)

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनॉकित करके सुनाया गया।

(अल्पना)
दिनांकः 17.07.2026 सेशन न्यायाधीश, बांदा।
(जे.ओ. कोड नं0 UP05748)